

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री आज़ाद तिकी पिता स्व. गंदिरा उराँव और श्री अरविन्द उराँव पिता स्व. गंदिरा उराँव निवासी ग्राम: देवलगड़ा, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: सराधु, थाना सं: 29 (रैयती) खाता सं. 134 और 202 के अधीन प्लॉट सं. 490, 497, 518, 519, 520, 527, 543, 544(P), 545(P), 551(P), 633, 637, 639, 634, 635, 644, 652, 653, 655, 657, 618, 619, 631, 495, 1732 और 1737; कुल रकबा - 04.0009 एकड़ (रैयती) भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबंधित कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: सराधु, थाना सं: 29 (रैयती) खाता सं. 134 और 202 के अधीन प्लॉट सं. 490, 497, 518, 519, 520, 527, 543, 544(P), 545(P), 551(P), 633, 637, 639, 634, 635, 644, 652, 653, 655, 657, 618, 619, 631, 495, 1732 और 1737; कुल रकबा - 04.0009 एकड़ (रैयती) भूमि, जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के तहत श्री आज़ाद तिकी पिता स्व. गंदिरा उराँव और श्री अरविन्द उराँव पिता स्व. गंदिरा उराँव निवासी ग्राम: देवलगड़ा, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

